LOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and (b) The charges of rampant corruption against Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART) have not been found to have any substance.

Sectoral allocation of budget for CAPART

2097. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what was the sectoral allocation of Budget for CAPART during 1990-91 and 1991-92; and

(b) what was the state-wise distribution of Budget of CAPART during the above period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) Funds are sanctioned by Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART) under various schemes to Voluntary Organisations. Scheme-wise allocation of budget during the years 1990-91 & 1991-92 is given in the annexure.

[*See* Appendix CLXIII, Annexure No. 39].

(b) No State-wise allocation of funds is made by the Council. Funds are sanctioned to Voluntary Organisations in different States on the basis of the Projects received. A statement showing State-wise distribution of sanctioned projects alongwith amount during the period is enclosed at Annexure.

[*See* Appendix CLXIII, Annexure No. 40].

गांवों की दुर्दशा के लिए सरकार को जिम्मेदारी

2098. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के विशेषज्ञ दल ने गांवों की दुर्दशा के लिये सरकारी तंत्र को जिम्मेदार ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने उक्त प्रतिवेदन पर अब तक क्या कार्यवाही की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (घ) गांव, खण्ड तथा जिला स्तर पर समन्वित विकास के लिए उपयुक्त स्व-प्रबन्ध संगठनों/निष्पादन पद्धतियों का अध्ययन और विकास करने हेतु योजना आयोग द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया था। कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया है कि "कानूनी जटिलताओं के अलावा सरकारी तन्त्र की बहुलता और अफसरशाही में लोगों की पहल-शक्ति को आगे नहीं आने दिया है।" कार्यदल की मुख्य सिफारिशें ये हैं :-

(1) सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना।

(2) मौजूदा नागरिक और विकास प्रशासन को एकीकृत करना।

(3) सहकारी समिति अधिनियम और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम को सरल बनाना।

(4) "ग्राम विकास संगमों" का गठन करना, जो गांव के सामूहिक सम्पत्ति संसाधनों का प्रबन्ध करने एवं सामाजिक सुधार लाने के लिए गैर-राजनैतिक संगठन होंगे और जिनके प्रति ग्राम स्तर के सभी कर्मचारी जिम्मेदार होंगे।

(5) कार्यदल ने केन्द्र में स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल संस्था के सृजन करने की सिफारिश की है।